(17)

(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1792–पीबीआर/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 28–05–2011 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला–उज्जैन के प्रकरण कमांक 18/बी–103/2010–11

.....

रफीक एहमद पिता शेख शबराती सिद्धीकी
निवासी–अमरपुरा उज्जैन, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
ऑफ स्टाम्प उज्जैन, म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री अनिल बारौड़ अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/15 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 48 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला– उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक एवं धूलसिंह पिता सुंदरलाल के बीच में भूमि सर्वे क्रं0 330 रकबा 0.36 हैक्टयर ग्राम खजूरिया रहवारी, तहसील व जिला उज्जैन के मध्य एक अनुबंध पत्र दिनांक 06.10.2007 को विक्रय बाबत किया गया था और उक्त अनुबंध पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा पंचम अपर जिला न्यायाधीश उज्जैन के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्र0 16–ए/11 पर दर्ज होकर जनवरी 2009 में यह आदेश पारित किया गया

कि आवेदक द्वारा 2,00,000/–रु0 का अनुबंध किया गया, जिस पर विधि अनुसार स्टाम्प शुल्क नहीं दिया गया, इस कारण 1,75,900/–रु0 प्रभार्य शुल्क लगाया गया एवं धारा 38 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया, जिसमें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/बी–103/2010–11 में दिनांक 28.05.2011 को आदेश पारित कर आवेदक पर अधिनियम की धारा 40 (ख) के अधीन कम स्टाम्प शुल्क की दस गुना राशि अर्थात् 2,15,380– अर्थदण्ड करते हुए कुल 2,36,918/–रु की राशि जमा किए जाने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 28.05.2011 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, आवेदक द्वारा सर्वे क्रं0 330 रकबा 0.36 है0 ग्राम खजूरिया रहवारी, तहसील व जिला उज्जैन को भूमि स्वामी धूलसिंह पिता सुंदरसिंह निवासी–खजूरिया रहवारी, तहसील व जिला उज्जैन से विक्रय का अनुबंध दिनांक 06.10.2007 को किया गया था और उक्त अनुबंध पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा पंचम अपर न्यायाधीश उज्जैन के समक्ष अनुबंध पत्र के पालन तथा स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा स्टाम्प ड्यूटी विधि अनुसार दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था, तथा उक्त प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में 03.10.2011 को निरस्त कर दिया गया था, उसके पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः चलाए जाने बावत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकों भी न्यायालय द्वारा दिनांक 07–08–2013 को आदेश पारित कर आवेदक का दावा निरस्त कर दिया था, इस प्रकार अनुबंध पत्र दिनांक 06.10.2007 के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा आवेदक का निरस्त हो गया है तो अब आवेदक पर स्टाम्प अधिरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। लिखित तर्क में यह भी बताया कि, अनुबंध विक्रेता धूलसिंह पिता सुंदरलाल निवासी–खजूरिया रहवारी आदि द्वारा दिनांक 04.08.2013 को सर्वे क्र0 330 रकबा 0.36 हैक्टयर भूमि को क्रेता शरद हरदेनिया पिता घनश्यामप्रसाद जी हरदेनिया, निवासी–11, राजस्व कालोनी, उज्जैन को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ग्रंथ क्रमांक 649 के माध्यम से विक्रय कर दिया है तथा विक्रय पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण भी नायब तहसीलदार उज्जैन द्वारा दिनांक 02.09.2013 को नामांतरण पंजी क्रमांक 24 दिनांक 02.09.2013 को क्रेता शरद पिता घनश्यामप्रसाद हरदेनिया के नाम से नामंतरण कर दिया है । इस प्रकार आवेदक के पास अब सर्वे नंबर 330 रकबा 0.36 है0 के संबंध में जो पत्र स्वतः ही समाप्त हो गया है, क्योंकि विक्रेता ने उक्त भूमि को अन्य को विक्रय कर दिया है, इस कारण

अब आवेदक पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है, वह समाप्त किए जाने योग्य है, क्योंकि आवेदक एवं धूलसिंह के बीच संपादित अनुबंध पत्र स्वतः ही समाप्त हो गया है । तर्क में यह भी बताया गया है कि, आवेदक अनुबंध पत्र दिनांक 06.10.2007 के अनुसार सर्वे नंबर 330 रकबा 0.36 आरे0 स्थित ग्राम रहवारी, तहसील व जिला उज्जैन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता न्यायालय से नहीं चाहता है एवं आवेदक का स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी निरस्त हो गया है एवं उक्त सर्वे नंबर की भूमि को धूलसिंह पिता सुंदरलाल द्वारा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया है एवं उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर वर्तमान में शरद हरदेनिया पिता घनश्यामप्रसाद हरदेनिया, निवासी 711 राजस्व कॉलोनी, उज्जैन के नाम से विक्रय कर दिया है तथा नामांतरण भी तहसील न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लिया है और वर्तमान में उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर क्रेता शरद हरदेनिया का नाम अंकित हो गया है, इस कारण उक्त सर्वे नंबर की भूमि के संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर जो आवेदक पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किया गया है, वह निरस्त किए जाने योग्य है । क्योंकि अब आवेदक एवं धूलसिंह पिता सुंदरलाल के बीच संपादित विक्रय अनुबंध पत्र समाप्त हो गया है । आवेदक द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अनुबंध पत्र के पालन में स्थाई निषेधाज्ञा का जो प्रकरण पेश किया गया था, जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2013 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया है, उक्त आदेश की प्रति लिखित बहस के साथ प्रस्तुत है तथा धूलसिंह पिता सुंदरलाल द्वारा सर्वे नंबर 330 रकबा 0.36 आरे की भूमि को शरद हरदेनिया पिता घनश्यामप्रसाद हरदेनिया को दिनांक 04.08.2013 को विक्रय कर दिया है, विक्रय पत्र की प्रति तथा उक्त सर्वे नंबर का नामांतरण दिनांक 02.09.2013 को क्रेता शरद पिता घनश्यामप्रसाद के नाम से कर दिया गया है, जिसकी नामांतरण पंजी भी उक्त लिखित बहस के साथ संलग्न है तथा वर्ष 2013–14 की खसरा बी–1 सर्वे क्रं0 330 रकबा 0.36 की भी संलग्न है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। आवेदक ने अपने आवेदन में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा किए गए मूल्यांकन को सही नहीं है मात्र ऐसा कहा गया है, लेकिन क्यों सही नहीं है इस बारे में कोई आधार/तर्क पेश नहीं किए है । अपने लिखित तर्क में आवेदक ने इस आधार पर कि, उक्त भूमि का अन्य व्यक्ति को विक्रय हो चुका है अतः अब अनुबन्ध समाप्त हो चुका है तथा कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है यह आधार

लिया है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2011 में स्पष्ट रूप से " सी.सी.आर.ए. विरूद्ध चिदम्बरम ए.आई.आर. 1970, मद्रास 5 एवं रेवेल विरूद्ध सी.सी.आर.ए. ए.आई.आर. 1971 मैसूर 318 " के मामले में पारित न्यायिक दृष्टांतों को उल्लेख किया है जिनके अनुसार ऐसे निष्पादित दस्तावेजों पर भी स्टाम्प शुल्क आकर्षित होता है । आवेदक ने इस न्यायिक दृष्टांत के विपरीत कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए है ।

5/ उपरोक्त में स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण तथा उचित है तथा उसमें फेरबदल कोई औचित्य नहीं है । फलतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर